Social Welfare Dept., Bihar

Sanction Order No. /2018-19

राज्य स्कीम की राशि

3/यो0-27/2017(खण्ड)
बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग

पत्र संख्या-

स्वीकृत्यादेश 02
(संख्या /2018-19)

प्रेषक,

वीरेन्द्र कुमार,भा.प्र.से.
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक -18.4.18

विषयः- **मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण छत्र योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना (सम्बल) हेतु सामान्य घटक में रू0 200.00 लाख (दो करोड़) तथा विशेष घटक हेतु रू0 100.00 लाख (एक करोड़) यानी कुल 300.00 लाख (तीन करोड़) मात्र के व्यय की स्वीकृति।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि समाज कल्याण विभाग के ज्ञापांक-5722 दिनांक-27.11.2017 के क्रम में राज्य सरकार द्वारा संचालित दिव्यांगता प्रक्षेत्र के सभी योजनाओं के कल्याणर्थ शीघ्र लाभ उपलब्ध कराने तथा समाज में दिव्यांगजनों के प्रति जागरूकता बढ़ने, उन्हें भौतिक, सामाजिक, शैक्षिक एवं आर्थिक रूप से सशक्त करने हेतु मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण छत्र-योजना कियान्वित किया गया है। वितीय वर्ष 2018-19 में मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना (सम्बल) हेतु सामान्य घटक में रू0 200.00 लाख (दो करोड़) तथा विशेष घटक हेतु रू0 100.00 लाख (एक करोड़) अर्थात कुल 300.00 लाख (तीन करोड़) **मात्र** के व्यय की स्वीकृति निम्न प्रकार प्रदान की है :-

(राशि लाख में)

क्र	योजना का नाम एवं	विपत्र कोड	मूल बजट उपबन्ध
राज्य स्कीम की राशि			
1	मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण छत्र योजना अन्तर्गत दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना (सम्बल)	51-2235021010119	200.00
		51-2235027890111	100.00
	कुल योग (तीन करोड़) मात्र		300.00

2. स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, बिहार, पटना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, बिहार, पटना इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि की निकासी कर सक्षम (State Society for Ultra Poor and Social Welfare - SSUPSW) पटना को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से या उनके खाते में राशि हस्तांतरित करेंगे। सक्षम द्वारा जिलों को आवश्यकतानुसार जिलों को राशि उपलब्ध करायी जायेगी।

3. उक्त स्वीकृत राशि के विरूद्ध दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय द्वारा निर्गत आवंटनादेश के आधार पर ही राशि की निकासी एवं व्यय किया जायेगा। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु बिहार वित्तीय नियमों का पालन करने की जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

4. राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.98, पत्रांक 3758/वि0 दिनांक 31.05.17, पत्रांक 378/वि0 दिनांक 16.01.18, पत्रांक 354/वि0 दिनांक 28.03.18, एवं समय-समय पर निर्गत अन्य अनुदेशों/परिपत्रों के अनुसार किया जायेगा।

5. यह स्वीकृत्यादेश संचिका संख्या-3/यो0-27/2017(खण्ड) के टिप्पणी पृष्ट संख्या 02/टि0 पर दिनांक 17.04.2018 को माननीया मंत्री, समाज कल्याण विभाग के अनुमोदनोपरान्त निर्गत की जा रही है।

6. यह स्वीकृत्यादेश संचिका संख्या-3/यो0-27/2017(खण्ड) के टिप्पणी पृष्ट संख्या 03/टि0 पर दिनांक 18.04.2018 को आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति के उपरांत निर्गत की जा रही है।

7. यह चालू योजना है। अतः महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन

ह0/-

(वीरेन्द्र कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक- 3/यो0-27/2017(खंड) /....................../दिनांक-

प्रतिलिपि -महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट शाखा)/समाज कल्याण विभाग (बजट शाखा)/निदेशक, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय, निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय, निदेशक, आई0सी0डी0एस0 निदेशालय/निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, बिहार, पटना/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, सक्षम/वरीय प्रशासी पदाधिकारी, सक्षम, अपना घर, बेली रोड, पटना/सभी सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग/सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक- 3/यो0-27/2017(खंड) 02 /....................../दिनांक- 18.4.18

प्रतिलिपि -कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, पटना/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/सभी उप कोषागार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

18/4/18

सरकार के संयुक्त सचिव।